न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/427

1. श्रीमती मनभरी धर्मपत्नी रामेश्वर, जाति दरोगा, निवासी ग्राम दुड़िया, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट

बनाम

1. छगन सिंह पुत्र हनुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम दुड़िया तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

––प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री हेमन्त सोगानी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री हेमन्त दीक्षित एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 05.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 15.06.2022 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 110 व 128 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2022 के आदेश द्वारा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये और आगामी तरीख पेशी दिनांक 07.07.2022 नियत फरमा दी तथा दिनांक 07.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के अपने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया कि श्रीमती मनभरी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनु के आदेश दिनांक 17.06.2022 के आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर ने तहसीलदार गुढ़ागौड़जी के आदेश दिनांक 03.06.2022 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर पत्रावली को वास्ते आदेश दिनांक 08.07.2022 नियत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.07.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी को ही स्वीकार किये जाने के आपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जो पूर्णतः विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित व अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

P.T.O

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा सीमाज्ञान किये जाने के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील पर अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू ने स्थगन आदेश पारित कर दिया था तथा इस प्रकार जब उक्त आदेश वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष सबज्यूडिस था तब उक्त आदेश को आधार बनाकर किसी भी प्रकार की कोई पत्थरगढ़ी किये जाने का कोई आदेश पारित किया ही नही जा सकता अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू के स्थगन आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी और न्यायालय ने उक्त आवेदन पर ही पक्षकारान की बहस सुनी तब मात्र उक्त प्रार्थना पत्र पर ही अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करना आवश्यक था किन्तु मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलर्थीया को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया और ना ही किसी प्रकार की कोई बहस सुनी गई, और बिना किसी साक्ष्य व आधार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया गया जो पूर्णतः अवैध व विधि विरूद्ध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत किया उसमें उसने यह अंकित किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 0.37 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1138/726 रकबा 0.37 हैक्टयर के पडौस में लगती हुई मौजूदा अपीलार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 726 स्थित है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने यह भी स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 1138/726 की भूमि की पूर्वी सीमा की ओर 72 वर्गमीटर पर मौजूदा अपीलार्थीया ने पुख्ता निमार्ण कर रखा है इसलिये वह उक्त 72 वर्गमीटर भूमि को छोड़कर ही पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 1138/726 की पत्थरगढी ना कराई जाकर 72 वर्गमीटर भूमि को छोड़कर ही पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया गया जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप ऐसी कोई पत्थरगढी करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार ही नही है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्वी सीमा की ओर खसरा नम्बर 1138/726 की पूर्वी सीमा की ओर करीबन 24X3 मीटर कुल 72 वर्गमीटर भूमि पर निमार्ण को छोड़कर दिनांक 10.06.2022 की सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध व विधि विरूद्ध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छगन सिंह ने वर्ष 2011 में अपलार्थीया सहित अन्य व्यक्तियों भंवरसिंह वगैरह के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा प्रस्तुत किया जिस दावे में उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने दिनांक 31.12.2018 को निर्णय पारित कर वाद पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित फरमा दी और तहसीलदार उदयपुरवाटी को उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन

प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश पारित कर दिया जिस आदेश की क्रियान्विति में पूर्ण अवैध रूप से तैयार की गई रिपोर्ट कुरेजात के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.12.2018 को अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित फरमा जिसके विरूद्ध भंवरसिंह व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू ने स्थगन आदेश पारित किया हुआ है और उक्त अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष विचाराधीन है और उक्त अपील के विचाराधीन रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर बिना किसी औचित्य के विवादग्रस्त भूमि के एक भाग के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि ग्राम दुड़िया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1138/726 रकबा 0.3700 हैक्टयर भूमि अवस्थित है जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान नही होने के कारण रेस्पोडेन्ट ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये तहसीलदार गुढागौड़जी के यहॉ आवेदन किया किये जाने पर तहसीलदार गुढ़ागौड़जी के आदेश क्रमांक 2022/1827 दिनांक 03.06.2022 की पालना में दिनांक 10.06.2022 को सीमाज्ञान हेतु टीम गठित कर भू अभिलेख निरीक्षक गुढ़ागौड़जी, पटवारी हल्का दुड़िया व पटवारी हल्का नाटास के साथ मय पुलिस जाप्ता पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी के द्वारा रेस्पोडेन्ट व पड़ौसी खातेदारान की मौजूदगी में फीता चलाकर जिला कार्यालय झुन्झुनू की नक्शा सीट क्रमाक 2985 दिनांक 19.12.2018 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 727, 1138/726 का सीमाज्ञान किया है जिसमें खसरा नम्बर 726 के खातेदार अपीलार्थीया के खसरा नम्बर 1138/726 में पूर्वी सीमा की ओर 72 वर्गमीटर पर पुख्ता निर्माण कर रखा है जिसको छोड़कर पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन करने पर पत्थरगढ़ी के अपीलाधीन आदेश दिनाक 08.07.2022 पारित किया गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है तथा जिस बाबत किसी प्रकार के उज्रात करने के कानूनन अधिकार अपीलार्थीया को प्रदत्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान किये जाने हेतु तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा आदेश क्रमांक भू.अ./2022/1827 दिनांक 03.06.2022 जारी किये गये जिसके विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अपने आदेश दिनांक

17.06.2022 द्वारा तहसीलदार गुढागौड़जी के उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 की क्रियान्विति को स्थगित किया गया है जिससे प्रकरण अपर न्यायालय के समक्ष सबज्यूडिस था एवं उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में अपीलर्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अवगत भी करा दिया गया था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.07.2022 को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनकर प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/12/2022

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।